Transmission projecs of Power Grid Corporation

123. SHRI ANANTRAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of POWER be plased to state:

(a) whether it is a fact that the Power Grid Corporation have issued a letter of intent to a Franco-British Conglomerate Co. for setting up of a transmission project costing over Rs. 200 crore without obtaining prior approval of Government; and

(b) if so, what is the reaction of Government with regard to the irregularities committed by the GEC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) Powergrid had issued only a conditional Letter of Award dated 29.12.1994 to M|s GEC Alsthom T&D Power Electronic Systems Limited. U.K. for 1x500 MW HVDC back-to-back link at Vizag (Jeypore-Gazuwaka HVDCV project) amounting to about Rs. 190 crores. The above action was taken since the offer of GEC, Alsthom was valid upto 29.12.1994 and the interest rate on credit offer was likely to go up after 14.1.1995.

(b) Since the offer of GEC Alsthom has been evaluated by Powergrid as the lowest bid as per the prescribed procedure, the Letter of Intent was issued subject to Government approval for the project.

विद्युत संचरण और वितरण क्षय

124. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संचरण और वितरण में होने वाले क्षय को कम करने का कार्य संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत संचरण और वितरण में होने वाले क्षय को कम करने के लिये किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल) : (ख) जी, हां । विद्युत पारेषण और वितरण संबंधी हानियों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख कारण संतोषप्रद नहीं हैं:-

(क) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली से संबंधित कार्यों को समुचित प्राथमिकता प्रदान न किए जाने के कारण इनकी क्षीण एवं अनुपयुक्त स्थिति होना ।

(2) बैक-अप पारेषण और उप-पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाए बिना देश ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्य बड़े पैमाने पर किए जाने के कारण लम्बी विद्युत लाइनें बिछाना और वितरण नेटवर्क का विस्तार करना ।

(3) ट्रांसफार्मेशन के अनेक चरण होने के कारण ट्रांसफार्मेशन हानियों की अधिक मात्रा होना ।

(4) भार प्रबंध उपयुक्त न होने के कारण प्रणाली में अधिक भार की स्थिति होना ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग भार और शहरी क्षेत्रों में एयर कण्डीशनर्स, कूलर्स और औद्योगिक भारों तथा लोड प्वाईंट्स पर अपर्याप्त रिएक्टिव कम्पनसेशन के कारण निम्न विद्युत घटक होना ।

(6) समुचित निर्माण गुणवत्ता न होना और उपस्कर का अपर्याप्त अनुरक्षण होना।

(7) कृषि पम्पसेट और लघु घरेलू कनेक्शनों को मीटर के विद्युत सप्लाई करना तथा अनधिकृत कनेक्शन होना।

(8) ऊर्जा का दुरुपयोग एवं चोरी।

(9) प्रणाली सुधार स्कीमों को हाथ में लेने के लिए वित्तीय बाधाओं के कारण विद्युत उत्पादन की अपेक्षा पारेषण एंव वितरण क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश होना।

(ग) बिजली समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विद्युत वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, नियोजित रूप से उपचारात्मक उपाय किए जाने के लिए विद्युत यूटिलिटिज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं, ताकि विद्युत यूटिलिटीज पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम किया जा सके। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं, प्रणालीगत अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना, वोल्टता संबंधी परिदृश्य में सुधार करने के लिए कैपेसिटर्स अधिष्ठापित करना, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने तथा सुधारने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रफ मीटर बाक्स लगाना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अधीन अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों और इनके कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1987 से नकद पुरस्कार, शील्ड प्रदान किए जाने के रूप में एक प्रोत्साहन स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और बाद में 1993 में इसमें संशोधन भी किया गया है। 8/9 जनवरी, 1993 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में, प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा जो कम करने तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन हानियों की मात्रा को 5 प्रतिशत तक कम किए जाने के लक्ष्य के बारे में एक संकल्प पारित किया गया था।

पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा की कम किए जाने पर अधिक बल दिए जाने के कारण देश में पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की औसत मात्रा जो कि 1991–92 में 22.83% थी, 1992–93 में 21.60% रह गई, जिसके परिणामस्वरूप पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा में 1.83% की गिरावट आई।

Dabhol Power Project by Enron

125. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Times of India of September 8, 1994, under the caption, "Enron to offload state in Dabhol, reap bonanza";

(b) if so, what are the facts and details in this regard;

(c) whether it is a fact that proposed disinvestment will give a huge bonanza from its Indian operations, if so, how do Government propose to dissuade Enron from deriving undue financial advantage at the cost of national exchequer;